न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
वाद सं0 : 128 सन 2013
अनवान :–

1. रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसीया तहसील नोहर।
   1/1 भवरलाल 1/2 राधेश्याम 1/3 ओमप्रकाश 1/4 वेदप्रकाश पुत्रगण लिछमण जाति ब्राहम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 01/06/2026

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा धानसीया के साबिका खसरा न0 127 की 65.00 बीधा भूमि वादी के पूर्वज रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसीया को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज रामप्यारी पुत्री सालगनराम के कब्जा काश्त में रही थी एव रामप्यारी पुत्री सालगराम के देहान्त होने पर प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा धानसयी के साबिका खसरा न0 127 की 65.00 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 127 के हाल खसरा न0 743 की 38.00 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है

रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसीया का देहान्त हो चुका है जिसका एक मात्र जायज वारिस वादी है जिसके वादी के रामप्यारी पुत्री सालगराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण के नाम से बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

रामप्यारी पुत्री सालगराम का देहान्त हो गया है जिसके कोई औलाद नही होने के कारण वादी प्रथम श्रेणी का वारिस है इसलिये वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी के पूर्वज रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसीया को रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा 127 हाल खसरा न0 743 की 37.00 बीधा भूमि के खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है जो उनके वारिसान वादी के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु रोही मोजा धानसीया के खसरा न0 743/1 की 0.3163हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि रामप्यारी पुत्री सालगराम को आवंटन की गई भूमि का ही भाग/हिस्सा है।

रोही मोजा धानसीया के साबिका खसरा न0 127 की भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में रामप्यारी पुत्री सालगराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी रामप्यारी उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी की बहन रामप्यारी पुत्री सालगराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही रामप्यारी पुत्री सालगराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी रामप्यारी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

फरमाया जाकर रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 911/896 के खसरा न0 743/1 की 0.3163 हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की रामप्यारी पुत्री सालगराम को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 911/896 के खसरा न0 743/1 की 0.3163हैक भूमि जो रामप्यारी पुत्री सालगराम को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में रामप्यारी पुत्री सालगराम के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं रामप्यारी पुत्री सालगरराम के देहान्त होने के बाद वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में रिर्पोट पेश की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का मौका रिपोर्ट शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा धानसीया के साबिका खसरा न0 127 की 65.00 बीधा भूमि वादी के पूर्वज रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसीया को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज रामप्यारी पुत्री सालगनराम के कब्जा काश्त में रही थी एव रामप्यारी पुत्री सालगराम के देहान्त होने पर प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण वादी का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा धानसयी के साबिका खसरा न0 127 की 65.00 बीधा भूमि भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 127 के हाल खसरा न0 743 की 38.00 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है

रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसीया का देहान्त हो चुका है जिसका एक मात्र जायज वारिस वादी है जिसके वादी के रामप्यारी पुत्री सालगराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण के नाम से बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

रामप्यारी पुत्री सालगराम का देहान्त हो गया है जिसके कोई औलाद नही होने के कारण वादी प्रथम श्रेणी का वारिस है इसलिये वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी के पूर्वज रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसीया को रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा 127 हाल खसरा न0 743 की 37.00 बीधा भूमि के खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है जो उनके वारिसान वादी के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु रोही मोजा धानसीया के खसरा न0 743/1 की 0.3163हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि रामप्यारी पुत्री सालगराम को आवंटन की गई भूमि का ही भाग/हिस्सा है।

रोही मोजा धानसीया के साबिका खसरा न0 127 की भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में रामप्यारी पुत्री सालगराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी रामप्यारी उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

वादी की बहन रामप्यारी पुत्री सालगराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही रामप्यारी पुत्री सालगराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी रामप्यारी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 911/896 के खसरा न0 743/1 की 0.3163 हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा धानसीया के साबिका खसरा न0 127 की कुल 65.00 बीधा भूमि रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसीया का देहान्त हो चुका है जिसके स्वय के कोई औलाद नही होने के कारण प्रथम श्रेणी के जायज वारिस एक मात्र वादी है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामप्यारी पुत्री सालगराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

अर्थात वाद भूमि रामप्यारी पुत्री सालगराम को दिनांक 18.07.1968 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण के कब्जा काश्त में थी एवं आवटी रामप्यारी के देहान्त होने पर वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 127 के हाल खसरा न0 743 की 38.05 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है।

रामप्यारी पुत्री सालगराम को रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 743 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 743 में परिर्वतन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 743 की भूमि रामप्यारी पुत्री सालगराम को दिनांक 18.07.1968 आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामप्यारी के नाम से गैरखातेदारी दर्ज है।

रामप्यारी पुत्री सालगराम को रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा 127 हाल खसरा न0 743 में 38.00 बीधा भूमि आवंटित की गई थी जिसमें से 37.00 बीधा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो रामप्यारी के वारिसान वादी के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 743/1 की 0.3163हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जो रामप्यारी पुत्री सालगराम को आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि रामप्यारी पुत्री सालगराम को आवंटन दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार रामप्यारी आवंटन दिनांक 18.07.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो आवंटन की गई भूमि

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

का ही हिस्सा को गैरखातेदार दर्ज कर दिया शेष भूमि को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है शेष रही वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि रामप्यारी को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता भादरसिह को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01. 2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पूर्वज रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसीया (जो सामान्य जाति का सदस्य है) को रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 127 / हाल खसरा न0 743 / 1 की 0.3163हैक्ट भूमि आवंटन दिनांक 18.07.1968 का ही हिस्सा है जो आवंटि रामप्यारी के देहान्त होने पर उसके प्रथम श्रेणी के वारिस वादी के के कब्जा काश्त में चली आ रही है अर्थात वाद भूमि रामप्यारी पुत्री सालगराम को आवंटन नियम 1957 / 70 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957 / 1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र / अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 127 की 65.00 बीधा भूमि हाल खसरा न0 742 की 38.05 बीधा भूमि रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसीया को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी साबिका खसरा 127 से हाल खसरा न0 743 की कुल 38.05बीधा में पैमुद किया गया था जिसमें से खसरा न0 743 की 37.00 बीधा के खातेदारी अधिकार पुर्व में दिये जा चके है खसरा न0 743 / 1 की 1.05 बीधा अर्थात 0.3163हैक्ट भूमि जो आवंटन दिनांक 18.07.1968 का ही भाग है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज है और रामप्यारी के देहान्त होने के बाद उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है साबिका खसरा न0 127 हाल खसरा न0 743 / 1 की 0.3163हैक्ट भूमि आवंटन आदेश दिनांक 18.07.1968 का भाग होने के कारण रामप्यारी उक्त भूमि को उक्त परिपत्रों के परिपेक्ष्य में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने की अधिकारी है वाद भूमि पूर्व में रामप्यारी के कब्जा काश्त में होना प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट से प्रमाणित है तथा रामप्यारी के देहान्त होने के बाद रामप्यारी के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादीगण उक्त परिपेक्ष्य में वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 944 / 896 के खसरा न0 743 / 1 की 0.3163हैक्ट कुल 0.3163हैक्ट भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000 / – प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400 / –प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण 1 / 1 से 1 / 4 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा मृतक 1. रामप्यारी पुत्री सालगराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/06/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Rahul

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)

अनवान :–

1. रामप्यारी पुत्री सालगराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसीया तहसील नोहर।
   1/1 भवरलाल 1/2 राधेश्याम 1/3 ओमप्रकाश 1/4 वेदप्रकाश पुत्रगण लिछमण राम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 128 सन 2013 निर्णय दिनांक – 01/06/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 944/896 के खसरा न0 743/1 की 0.3163हैक कुल 0.3163हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादीगण 1/1 से 1/4 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा मृतक 1. रामप्यारी पुत्री सालगराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)